

विचार बिन्दु

दया और सत्यता परस्पर मिलते हैं, धर्म और शांति
एक-दूसरे का साथ देते हैं। -बाहबल

प्रेस कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया ने मीडिया की स्वतंत्रता हेतु श्री अशोक गहलोत के बयान पर क्यों प्रहार किया?

दि

नंक 15.11.2022 के आदेश में जो प्रेस कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया ने, राकेश शर्मा पूर्व पीसीआई सदस्य की लिखित शिकायत पर अपने विवेक से स्पष्टान से कार्यवाही की है, उसमें अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान राज्य की टिप्पणी जो उह्वेंने दिनांक 16.12.2019 की एक प्रेस कॉफरेंस में, प्रेस के बारे में की थी तथा उस पर गम्भीर नाराजगी जताई थी। श्री गहलोत की रीत टिप्पणी खुली धमकी की थी कि सकारात उन अखबारों को जो विज्ञापन करारी करों जो सकारात की रीत रिवाज का वाक कमज़ोर को पूरे विभागों, बोर्ड व निकायों से इनके विज्ञापन मिलते थे, अब नहीं मिलते के बाबत वह 9वें स्पान पर आया है।

श्री अशोक गहलोत ने मीडिया में जो बात दिया है इस प्रकार था कि हमारी यानी अशोक गहलोत सकारात की न्यूज़ छाँगें तो ही विज्ञापन मिलता।

इस प्रकारण में पीसीआई ने सभी संबंधित व्यक्तियों को नोटिस दिया, सरकार का स्पष्टीकरण भी लिया। राज्य को विज्ञापन पोलिस का भी प्रिलेशन किया। सभी के उत्तर से प्रयास किया। मीडियों भी सुना कि वाक अन्तर्राष्ट्रीय का भी मंगवाया किन्तु बार बार करने पर नहीं भेजे। एक जांच करेंटी भी बाईं और रिपोर्ट को फाइल का भाग बनाया। वह भी आपसिंह उठाई कि पीसीआई को सुनवाई का अधिकार नहीं है। प्रेस कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया ने सभी पक्षों को सुनें के बाद तथा प्रेस कॉउन्सिल एक्ट 1978 की भी भावाना को समझने का प्रयास किया। अपनी findings दी, वे प्रेस किया।

1) Curtailing the amount of advertisement released to a newspaper would impact free speech as advertisements themselves, supplement the cost of publishing the newspaper.

2) Rajasthan CM Ashok Gehlot's statement that his government would only give advertisement to media that report "positive stories about the State Government and cited "extreme displeasure" at its advertisement policy that allegedly discriminated against a news paper for these years.

3) The statements made by the CM, "would restrict the supply and dissemination of news of public interest.

Final decision:

4) "The Press Council on consideration or record of the case and report of the Inquiry Committee accepts reasons, findings and adopts the report of the Committee and decides to express the extreme displeasure about the statement in question made by the Chief Minister of Rajasthan, Shri Ashok Gehlot and disposes of the matter accordingly with aforesaid observations."

इस केस के तथ्यों के बाबत की मृदृश्मि में हम समझने का प्रयास करेंगे कि व्याक अधिकारित की स्वतंत्रता का भूल अधिकार और प्रेस (मीडिया) को समान रूप से प्राप्त है?

भारत के संविधान में अपनी उद्देश्यांक में देश के प्रत्येक नागरिकों को विचार व अधिकारित की स्वतंत्रता का उद्भव भी अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता और अधिकारित स्वतंत्रता का संक्षण किया है। प्रेस की स्वतंत्रता का उद्भव भी अनुच्छेद 19 (1) से ही है वे अनुच्छेद 19 (2) में वाक स्वतंत्रता की जहाँ पहुँच होती है।

साधारण आदानी की जहाँ पहुँच नहीं है, उसे प्रेस गेलेरी का अधिकार है। प्रेस को यह अधिकार प्राप्त है कि मीडिया की भूमिका दृस्टी के रूप में है। मीडिया, जनता की आँख व कान होते हैं, अतः मीडिया का कार्य जनता के लिये जानकारी उपलब्ध कराना और प्रकाशित करने का है।

प्राप्त है और इसलिये प्राप्त है कि मीडिया की भूमिका दृस्टी के रूप में है। मीडिया, जनता की आँख व कान होते हैं, अतः मीडिया का यह अधिकार है कि सही प्रिलेश्न करें।

इंशिल कॉर्पोरेशन की कार्यवाही को लेरिटेज से देश ने खुली अदालत की ओपरेटर कर सके। इस प्रकार मीडिया सार्वजनिक सेवा की ही कार्यवाही को लेरिटेज की अधिकार है और प्रेस को यह अधिकार प्राप्त है कि मीडिया को इलेक्ट्रोनिक

संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम संविधान के द्वारा वहाँ की नागरिकों को मूल अधिकार नागरिकों और प्रेस (मीडिया) को समान रूप से प्राप्त है।

यदि हम सिद्धान्त के रूप से देखें तो यह पायेंगे कि व्यक्ति के अधिकार और प्रेस के अधिकार में कोई अन्तर नहीं है। ही प्रिलेश्न में अनुच्छेद 19 (1) के वाक स्वतंत्रता और अधिकारित स्वतंत्रता का व्यक्ति की स्वतंत्रता का संक्षण किया है। अनुच्छेद 19 (2) में उह्वें समित किया है, क्योंकि अनिवार्यता स्वतंत्रता या प्रेस की मिन्कुश स्वतंत्रता: विकल क अंदर के लिये स्कॉट पैदा कर सकती है। अतः अनुच्छेद 19 (1) के अधिकारों में लोक व्यवस्था, देश की प्रभुता व अखंडता व सदाचार के दिलाई में इस पर अधिकारित स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 (2) में देविय गये हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम संविधान के द्वारा वहाँ की नागरिकों को मूल अधिकार नागरिकों और प्रेस (मीडिया) को समान रूप से प्राप्त है।

भारत के संविधान में अपनी उद्देश्यांक में देश के प्रत्येक नागरिक को विचार व अधिकारित की स्वतंत्रता दी ही और संविधान में अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता और अधिकारित स्वतंत्रता का संक्षण किया है। प्रेस की स्वतंत्रता का उद्भव भी अनुच्छेद 19 (2) से ही है वे अनुच्छेद 19 (2) में वाक स्वतंत्रता की जहाँ पहुँच होती है।

साधारण आदानी की जहाँ पहुँच नहीं है, उसे प्रेस गेलेरी का अधिकार है। प्रेस को यह अधिकार

प्राप्त है और इसलिये प्राप्त है कि मीडिया की भूमिका दृस्टी के रूप में है।

मीडिया, जनता की आँख व कान होते हैं, अतः मीडिया का कार्य जनता के लिये जानकारी उपलब्ध कराना और प्रकाशित करने का है।

प्रकाशित करने का है।

इंशिल कॉर्पोरेशन की कार्यवाही को लेरिटेज से देश ने खुली अदालत की ओपरेटर कर सके। इस प्रकार मीडिया सार्वजनिक सेवा की ही कार्यवाही को लेरिटेज की अधिकार है और प्रेस को यह अधिकार प्राप्त है कि मीडिया को इलेक्ट्रोनिक

संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम संविधान के द्वारा वहाँ की नागरिकों को मूल अधिकार नागरिकों और प्रेस (मीडिया) को समान रूप से प्राप्त है।

यदि हम सिद्धान्त के रूप से देखें तो यह पायेंगे कि व्यक्ति के अधिकार और प्रेस के अधिकार में कोई अन्तर नहीं है। ही प्रिलेश्न में अनुच्छेद 19 (1) के वाक स्वतंत्रता और अधिकारित स्वतंत्रता का व्यक्ति की स्वतंत्रता का संक्षण किया है। अनुच्छेद 19 (2) में उह्वें समित किया है, क्योंकि अनिवार्यता स्वतंत्रता या प्रेस की मिन्कुश स्वतंत्रता: विकल क अंदर के लिये स्कॉट पैदा कर सकती है। अतः अनुच्छेद 19 (1) के अधिकारों में लोक व्यवस्था, देश की प्रभुता व अखंडता व सदाचार के दिलाई में इस पर अधिकारित स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 (2) में देविय गये हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम संविधान के द्वारा वहाँ की नागरिकों को मूल अधिकार नागरिकों और प्रेस (मीडिया) को समान रूप से प्राप्त है।

यदि हम सिद्धान्त के रूप से देखें तो यह पायेंगे कि व्यक्ति के अधिकार और प्रेस के अधिकार में कोई अन्तर नहीं है। ही प्रिलेश्न में अनुच्छेद 19 (1) के वाक स्वतंत्रता और अधिकारित स्वतंत्रता का व्यक्ति की स्वतंत्रता का संक्षण किया है। अनुच्छेद 19 (2) में उह्वें समित किया है, क्योंकि अनिवार्यता स्वतंत्रता या प्रेस की मिन्कुश स्वतंत्रता: विकल क अंदर के लिये स्कॉट पैदा कर सकती है। अतः अनुच्छेद 19 (1) के अधिकारों में लोक व्यवस्था, देश की प्रभुता व अखंडता व सदाचार के दिलाई में इस पर अधिकारित स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 (2) में देविय गये हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम संविधान के द्वारा वहाँ की नागरिकों को मूल अधिकार नागरिकों और प्रेस (मीडिया) को समान रूप से प्राप्त है।

यदि हम सिद्धान्त के रूप से देखें तो यह पायेंगे कि व्यक्ति के अधिकार और प्रेस के अधिकार में कोई अन्तर नहीं है। ही प्रिलेश्न में अनुच्छेद 19 (1) के वाक स्वतंत्रता और अधिकारित स्वतंत्रता का व्यक्ति की स्वतंत्रता का संक्षण किया है। अनुच्छेद 19 (2) में उह्वें समित किया है, क्योंकि अनिवार्यता स्वतंत्रता या प्रेस की मिन्कुश स्वतंत्रता: विकल क अंदर के लिये स्कॉट पैदा कर सकती है। अतः अनुच्छेद 19 (1) के अधिकारों में लोक व्यवस्था, देश की प्रभुता व अखंडता व सदाचार के दिलाई में इस पर अधिकारित स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 (2) में देविय गये हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम संविधान के द्वारा वहाँ की नागरिकों को मूल अधिकार नागरिकों और प्रेस (मीडिया) को समान रूप से प्राप्त है।

यदि हम सिद्धान्त के रूप से देखें तो यह पायेंगे कि व्यक्ति के अधिकार और प्रेस के अधिकार में कोई अन्तर नहीं है। ही प्रिलेश्न में अनुच्छेद 19 (1) के वाक स्वतंत्रता और अधिकारित स्वतंत्रता का व्यक्ति की स्वतंत्रता का संक्षण किया है। अनुच्छेद 19 (2) में उह्वें समित किया है, क्योंकि अनिवार्यता स्वतंत्रता या प्रेस की मिन्कुश स्वतंत्रता: विकल क अंदर के लिये स्कॉट पैदा कर सकती है। अतः अनुच्छेद 19 (1) के अधिकारों में लोक व्यवस्था, देश की प्रभुता व अखंडता व सदाचार के दिलाई में इस पर अधिकारित स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 (2) में देविय गये हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम संविधान के द्वारा वहाँ की नागरिकों को मूल अधिकार नागरिकों और प्रेस (मीडिया) को समान रूप से प्राप्त है।

यदि हम सिद्धान्त के रूप से देखें तो यह पायेंगे कि व्यक्ति के अधिकार और प्रेस के अधिकार में कोई अन्तर नहीं है। ही प्रिलेश्न में अनुच्छ

'यह तो अशोक गहलोत का पुअर डिफैस व फेस सेविंग है'

-कार्यालय संचाददाता-

जयपुर, 24 नवम्बर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक सचिन पायलट के द्वारा पूर्व उम्मेदवारी सचिन पायलट का गहर कहने और पायलट समर्थक विधायकों को सरकार गिराने के लिए 10-10 करोड़ रुपए भाजपा मुख्यालय से पहुंचाए जाने के आरोपों को भाजपा प्रसारालय सतीश पूनिया ने सिरे से खारिज किया है।

सतीश पूनिया ने एसटीटीवी को दिये इंटरव्यू में साफ कहा कि भाजपा से सचिन पायलट का कोई लेना-देना नहीं है। कोप्रेस की भीतरी चिंगाड़ा है उसके दोषी हम कैसे हैं? वर्ष 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद राजस्थान में खुलकर नारे लगे थे, "हमारा मुख्यमंत्री कैसा है... सचिन पायलट जैसा है।" राजस्थान की जनता ने भी दो-दो मुख्यमंत्री के नारे लगे थे, वह नारे भाजपा ने थेंडे ही लापता थे। शब्द गहलोत के आरोपों में कोई दम नहीं है। हम पायलट से न कभी मिले, ना बात की। ना पहले जरूर थी, ना जारी है। भाजपा को तो आधे लगाने का माध्यम अशोक गहलोत ने अपने बचाव के लिए बना लिया है।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस को उपरान्ह किए समाने आ गई है। फिल्म का नाम है—गदार कौन? गहलोत ने अपने इंटरव्यू में आरोप कह करता है कि अशोक गहलोत ने लगाया है कि अभाजपा के लागे राजस्थान में सरकार बनने के लिए कितने अंतर्काम काम किए हैं। इसलिए इन सियासी आरोपों का कोई दम नहीं है। राजस्थान की जनता और कांग्रेस

डॉ. सतीश पूनिया ने यह भी कहा, गहलोत की बात से लगता है कि, पार्टी की लड़ाई और विखराव को ढकने के लिए उन्होंने एक कुतर्क का सहारा जरूर लिया है।

- 'ये तो सियासी आरोप हैं, मैं भी कह सकता हूँ कि अशोक गहलोत ने सरकार बचाने के लिए कितने अंतर्काम किए हैं।' इसलिए इन सियासी आरोपों का कोई मतलब नहीं।'

- पूनिया ने कहा, पायलट अपनी मर्जी से अलग हुए। वो हमारे विधायक नहीं थे। उनके पी.सी.सी. छीफ थे। हमने उनको नहीं भेजा। ना उकसाया, ना आमंत्रित किया। कोई अपनी पार्टी से टूटकर जाना चाहे तो क्या करें।

किसको होगी। राजस्थान की जनता 4 साल से सुनाता है। सचिन पायलट, भाजपा के नहीं, बल्कि उनके खुद के पौराणिक और दिल्ली विधायकों थे। अशोक गहलोत भूल जाते हैं कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में उनको मैटेंड नहीं था। कांग्रेस ने 99 सीट और 13 निर्दलीय और 6 बसपा विधायकों को उन्होंने मर्ज किया।

भाजपा हेडकार्टर से पायलट समर्थक विधायकों को पैसा पहुंचाए जाने के आरोप पर सतीश पूनिया ने कहा कि, "ये तो सियासी आरोप हैं, मैं भी गहलोत ने अपने इंटरव्यू में आरोप कह करता है कि अशोक गहलोत ने लगाया है कि अभाजपा के लागे राजस्थान में सरकार बनने के लिए कितने अंतर्काम काम किए हैं। इसलिए इन सियासी आरोपों का कोई दम नहीं है। राजस्थान की जनता और कांग्रेस



आलाकमान जानता है कि किसका कंडक्ट कैसे था? यह तो अशोक गहलोत का पूराण डिफेंस और फेस सेविंग है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने कुसी बचाने के लिए क्या-क्या अंतर्काम काम किया होगा। लेकिन उसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है। राजनीति में चलती-फिल्म बात को कोई तबतज्ज्ञ नहीं है। गहलोत की बात से लगता है कि पार्टी की लड़ाई और बिखार को ढकने के लिए उन्होंने एक कुतर्क का सहारा जरूर लिया है। मुझे इसमें सियासी दम नज़र नहीं आता है।"

व्यापक जाना, सचिन पायलट और विधायकों से नहीं मिले। इस सचाव पर भूल जाते हैं कि कांग्रेस ने सचाव पर सतीश पूनिया ने कहा कि "क्यों मिले होगे, क्या कारण है? पायलट अपनी मर्ज से अलग हुए वो

छोड़ेंगे तो पायलट के पक्ष में तो कभी भी नहीं छोड़ेंगे, "चाहे इसमें पार्टी टूटे या इसे बिल्कुल भी सकते हैं।" उन्होंने अगे कहा कि इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कि उनके पास सबूत है कि सरकार निराशा के लिए 10-10 करोड़ रुपये दिये गये थे। इसमें भाजपा शामिल थी तो मुख्यमंत्री इन्हें समय तक चुप कर्म रही है। उन्होंने मर्ज किया।

भाजपा कोई आधार और तकर्क नहीं होता है। उनके पासीसी बोइंग और आधार और तकर्क नहीं होता है। उनके बातों में चार-चार उकसाया, ना आमंत्रित किया। कोई अपनी पार्टी से टूटकर जाना चाहे तो हम क्या करें। भाजपा के प्रतिक्षण गहलोत की बात पर भूल जाती है। वह केवल उनके अपने फ्रस्टेन और निराशा को जारी करने का एक तरीका है कि बीजेपी के मध्ये पर ठीकारा फोड़ा जाए।"

नेता प्रतिपक्ष गुलाब चन्द कटारिया ने भी गहलोत पर तर्जन करते हुए पीड़िया में बदल दिया कि प्रदेश में जिस तरह का बेखेड़ा चल रहा जिसके बाद बड़ा उलट के लिए उन्होंने एक कालूलाल जैन से इन संघर्षितों के बारे में सतीशनक जवाब नहीं मिले। ये दोनों को अपने एक बात के बारे में जो बात भी नहीं होती है?"

उन्होंने कहा कि आपको एक समाज के लिए उन्होंने एक कालूलाल जैन का बालूल समझा दिया है। यह नारे जाने का नीटिस मिल गया है, इसलिए उन्होंने एक दजन रिसेट में भी निवेश किए। जाने से जड़े राजस्थान के लिए उन्होंने एक दजन रिसेट में अनिल चिंटाड़ी, रॉयल के अशोक जैन,

उदयपुर के दो रियल एस्टेट कारोबारियों पर इन्कम टैक्स की रेड

इन्कम टैक्स विभाग ने अंकुर एवं एकमें गुप के कुल 37 ठिकानों पर एक साथ रेड की, तलाशी अभी भी जारी है।

उदयपुर, 24 नवम्बर (कासं)। उदयपुर में दो रियल एस्टेट कारोबारियों पर इन्कम टैक्स की रेड में बड़ी मात्रा में नक्दी और जरवात मिले हैं। इनकम टैक्स की टीम 100 करोड़ रुपये से ज्यादा संपत्तियों के दलावेज जब कर उनकी जांच शुरू की है।

प्राप्त जानकारी अनुसार अंकुर एवं एकमें गुप के कुल 37 ठिकानों पर एक साथ कारोबारी और आठ लोगों को अपने एक बात के बारे में जो बात भी नहीं होती है।

भूपेंद्र जैन, अनीश धींगी, बंसीलाल सुहालका, पंकज जैन सहित इनसे जुड़े करीब 40 लोगों से लेवी पृष्ठाताछ चल रही है। गुलाब कालूल समझा देता है कि एक बालूल समाज में शारीरिक व्यायाम की जांच आगे लागत है।

भूपेंद्र जैन की जांच आगे लागत है। एक बालूल समझा देता है कि एक बालूल समझा देता है।

भूपेंद्र जैन की जांच आगे लागत है। एक बालूल समझा देता है।

भूपेंद्र जैन, अनीश धींगी, बंसीलाल सुहालका, पंकज जैन सहित इनसे जुड़े करीब 40 लोगों को अपने एक बात के बारे में जो बात भी नहीं होती है।

भूपेंद्र जैन की जांच आगे लागत है। एक बालूल समझा देता है।

भूपेंद्र जैन की जांच आगे लागत है।

भूपेंद्र जैन की